


निगरानी प्रकरण क्रमांक 416-11/20 15

55
19-2-15

26



Rs. 20/-

श्री श्रीमान् श्री क. डू. ने
द्वारा आज दिनांक 19-02-15 के
प्रस्तुत किया गया

सिडर
सर्टिफिकेट रोवा

रामबालक तिवारी तनय श्री कंदार प्रसाद तिवारी निवासो ग्राम रुपांली
तहसील हुजूर, जिलारावा म० प्र० ----- आवेदक निगराकार

विरुद्ध

- 1- लल्लू प्रसाद ब्रा० पिता स्व० रामावतार ब्रा०
- 2- चन्द्रमणि मिश्रा तनय विश्वनाथ मिश्रा दोनों निवासो गण ग्रामरुपांली,
तहसील हुजूर, जिलारावा म० प्र० ----- आवेदकगण गैर निगराकारगण

कृमांक 4580
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक को प्राप्त
18-2-15
राजस्व मण्डल न. प्र. गवालियर

अर
निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् कले० महोदय
रोवाके राजस्व प्रकरण न० 363/70/20 10-11 मे
पारित आदेश दिनांक 30-10-14

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० मुराजस्व
संहिता सन 1959ई ०

महोदय,
प्रकरण का सूक्ष्मविवरण :-

:क:- यह कि भूमि खसरा क्रमांक 1100/1 एवम 1100/2 स्थित ग्राम रुपांली
तहसील हुजूर, जिलारावा मे स्थित है, उक्त भूमियां आवेदकगण के स्वत्व
स्वामित्व की भूमियां हैं, उसीसे लगी भूमि खसरा न० 1159 जो आवेदक
के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि है, अने स्वत्व व आधिपत्य की भूमि न०
1159 मे आवेदक अपना मकान बनाकर काविज व दहोल व भूमि न० 1100/1 मे


M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-नि.416-III/15

जिला-रीवा

रामबालक तिवारी / लल्लू प्रसाद वगैरः

(1)	(2)	(3)
02.02.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	